भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का कार्यकरण

4993. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है और इसके निष्पादन में इन दिनों काफी कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण पर निगरानी रखने और इसमें सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार इस संस्थान का निजीकरण करने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वहां "स्पीकर्स" (प्रवक्ता) का चयन गुणों के आधार पर न करके अन्य आधारों पर किया जाता है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कई संकाय सदस्य मानकों को पूरा नहीं करते हैं और सरकारी पैसा मुफ्त में लूट रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त समिति है । इस संस्थान के स्तर में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Rules Governing Splits in Central Government Employees' Associations

4994. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA :

SHRI KAILASH NARAIN SARANG :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the norms/rules that govern separation/splits in recognised associations of employees of Cental Government;

(b) whether these norms/rules arebindinig/upplicable to autonomous bodies, fully funded and controlled by the Government of India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) Recognition of Service Associations of Central Government employees is regulated in terms of Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1993. There is no provision in these Rules governing separation /split in recognised Associations.

(b) The Rules applicable to Central Government Departments are not, *ipso facto,* applicable to the autonomous bodies under the Central Government unless they are specifically adopted by such bodies.

पेंशन के मामलों में अनियमितताएं संबंधी शिकायतें

4995. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के अन्दर सरकार को विभिन्न स्रोतों से पेंशन के मामलों में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) इन शिकायतों में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कितनी शिकायतें की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) पेंशन की मंजूरी तथा वितरण से संबंधित कार्य विकेन्द्रीकृत है । सेवानिवृत्त कर्म-